

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—आदेश:—

ग्रामीण कार्य विभाग, प्रशाखा-2 एवं 3 अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन संचालित विभिन्न विभागीय कार्यवाहियों में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1701 दिनांक 07.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य जाँच आयुक्त/जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन संचालित सभी विभागीय कार्यवाहियों में श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।


14/5/25

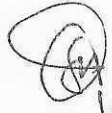
(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-8-12/2023 5181 /पटना, दिनांक :- 15-5-25

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/5/25

संयुक्त सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-8-12/2023 5181 /पटना, दिनांक :- 15-5-25

प्रतिलिपि :-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सभी संबंधित जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/5/25

संयुक्त सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग